

परिशिष्ट

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के तहत सरकार द्वारा प्रबंधित सुविधाओं हेतु वन भूमि को वन उद्देश्यों हेतु विपथन के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रपत्र।

प्रपत्र का

(पर 2.2(1) देखें)

(यूजर एजेंसी द्वारा भरा जाएगा)

- परियोजना विवरण **कौय चरानुवह खडक पी.सी. निर्माण कार्य (ग्राम-चाकोडा) कि.मी. 13.5/200**
 (1) प्रस्तावित परियोजना/ योजना जिसके लिए वन भूमि वांछित है वी विषय में तथु कथन **राज. व मध्य प्रदेश का मोड़ने का भाग नही मुख्य खडक**
 (2) वांछित वन भूमि का विवरण (2 विकल्पों का उल्लेख करें)
 क स्थान-सर्वे संख्या/ कम्पाटमेंट संख्या
 ख क्षेत्र का विस्तार (हेक्टेयर में) **7.166 है.**
 ग वन मंडल **धुबडा**
 घ 1:50,000 के स्केल मैप पर निकटवर्ती वन की सीमा तथा वांछित वन भूमि का सख्त भू-विवरण **सब्स**
 (3) प्रस्तावित वन भूमि में परियोजना लगाने की औचित्यता **राज. व मध्य प्रदेश का मोड़ने वाला मुख्य खडक, अन्य भाग नही है**
 (4) प्रत्येक हेक्टेयर में काटे जाने वाले तथा लगाए जाने वाले वृक्षों की संख्या **पूर्व निर्मित खडक मार्ग होने के कारण वृक्ष नही काटे जाएंगे**
- प्रस्तावित भवन/ गतिविधि क्षेत्र मैप के साथ वांछित कुल वन भूमि का उद्देश्यवार अलग-अलग विवरण **खडक निर्माण के लिए 7.166 है.**
- इस आशय की पुष्टि कि यूजर एजेंसी काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या की दोगुनी संख्या में उस परियोजना अथवा निकटवर्ती क्षेत्र में वृक्ष लगाएगी तथा कम से कम 5 वर्षों तक उन वृक्षों की सुरक्षा तथा अनुसंधान हेतु वार्षिक राशि उपलब्ध कराएगी (विवरण सलग करें)।
- ग्राम सभा की संस्तुति - स्वीकृत/ अस्वीकृत
 (जैसा भी मामला हो (✓) का निशान लगाएं)। (ग्राम सभा के सचिव की प्रति सलग करें)

अधिसूचना
आदेश

वक्ता अधिकारी सीता
ग्राम, पंचायत
चाकोडा

तिथि
स्थान

20/11/14

सचिव वक्ता अधिकारी सीता
ग्राम, पंचायत चाकोडा

यूजर एजेंसी हेतु अधिकृत **अरत अल मीन**

(यह अक्षर में नाम)
पता

आयुक्त आदिवासी अभिवृत्ता
संसाधन विकास विभाग
खण्ड छवडा

प्रस्ताव की एक संख्या

(वन वन अधिकारी द्वारा जारी) विधि के तहत वन भूमि

प्रस्ताव की जगह रखा

विकास अधिकारी
काशीनगर मंडल नगर

547

परिशिष्ट

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के तहत सरकार द्वारा प्रबंधित सुविधाओं हेतु वन भूमि को गैर-वन उद्देश्यों हेतु विपथन के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रपत्र ।

प्रपत्र क

(पैरा 2.2(1) देखें)

(यूजर एजेंसी द्वारा भरा जाएगा)

परियोजना विवरण : **कोटा चरनाकरा सड़क (अ-5) पर सी०सी० निर्माण कार्य**
किमी 13.43km से 13.44km (ग्राम पंचायत 17)

- (1) प्रस्तावित परियोजना/ योजना जिसके लिए वन भूमि वांछित है, के विषय में लघु कथन । **यह सड़क राजस्व को बढ़ाएगी और जोड़ने वाली सुविधा है।**
- (2) वांछित वन भूमि का विवरण (2 विकल्पों का उल्लेख करें)
क स्थान-सर्वे संख्या/ कम्पाटमेंट संख्या
ख क्षेत्र का विस्तार (हेक्टेयर में) **7.166 है०**
ग वन मंडल **धरक**
घ 1:50,000 के स्केल मैप पर निकटवर्ती वन की सीमा तथा वांछित वन भूमि को नक्शे पर दिखाएं।
- (3) प्रस्तावित वन भूमि में परियोजना लगाने की औचित्यता **सड़क वर्तमान में उपयोग हो रही है एवं इसका निर्माण जन-निर्माण किमा जा रहा है।**
- (4) **यह सड़क वर्तमान में उपयोग हो रही है एवं इसका निर्माण जन-निर्माण किमा जा रहा है।**

1. प्रस्तावित भवन/ गतिविधि क्षेत्र मैप के साथ वांछित कुल वन भूमि का उद्देश्यवार अलग-अलग विवरण । **सड़क निर्माण 7.166 है०**
2. इस आशय की पुष्टि कि यूजर एजेंसी काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या की संशुद्धी संख्या में उस परियोजना अथवा निकटवर्ती क्षेत्र में वृक्ष लगाएंगी तथा कम से कम 5 वर्षों तक उन वृक्षों की सुरक्षा तथा अनुसंधान हेतु वार्षिक राशि उपलब्ध कराएंगी (विवरण संलग्न करें) ।
4. ग्राम सभा की संस्तुति - स्वीकृत/ अस्वीकृत
(जैसा भी मामला हो (✓) का निशान लगाएं) । (ग्राम सभा के संकल्प की प्रति संलग्न करें)

यूजर एजेंसी हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

नन्द किशोर गाडगी गुर्जर
सरपंच

(बड़े अक्षरों में नाम) **अरुण लाल जीना**
पता **अधिकांश निवासी**
सांख्यिक निमाण विभाग
खण्ड छबड़ा

तिथि **18.9.14**
स्थान **चा.सो.17**
ग्राम पंचायत **कोटा**
प.स. **छबड़ा जिला नारों (राज.)**

कमिश्नर
राज वन अधिकारी
परिचाय की क्रम संख्या **2**
रेज वन अधिकारी द्वारा प्राप्ति तिथि के साथ भरा जाएगा

1

11

प्रपत्र-ख

(पैरा 2.2(4) देखें)

(संबंधित रेंज वन अधिकारी के द्वारा भरा जाएगा)

प्रस्ताव की क्रम संख्या 2

परियोजना/ योजना का स्थान

- 1) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र — राजस्थान
 - 2) जिला — जयपुर
 - 3) वन विभाग — रेंज थकड़ा
 - 4) प्रस्तावित वन भूमि (2 विकल्प उल्लेख करने हैं) — 6 घुंटा से अधिक लंबाई के 2
 - क स्थान-सर्वे संख्या/ कम्पार्टमेंट संख्या — 9751 (कोम) में रहस्य
 - ख क्षेत्र का विस्तार (हेक्टेयर में) — 7.166 हे.मी.
- यहां यह जैविक रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर इत्यादि का भाग है। नहीं

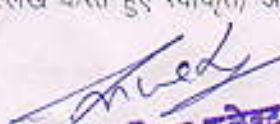
प्रस्ताव की स्वीकृति (दो विकल्पों के लिए अलग-अलग) पर उचित विचार के साथ निरीक्षण करने के लिए उल्लेख करते हुए स्थल निरीक्षण रिपोर्ट सलग्न करें।

प्रस्ताव की स्वीकृति अथवा अन्य बातों हेतु रेंज वन अधिकारी की विनिर्दिष्ट संस्तुति तथा देखभाल के लिए सूझक, स्ट्रेटमैन एवं वन्य प्राणी से प्रोत्साहित करने के लिए कोरिडोर का स्वीकृति देने की अधिसूचना जारी करें।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज छबड़ा

नाम
कार्यालय मुहर

उल्लेख करते हुए स्वीकृत/ अस्वीकृत


जय जिला कलेक्टर
जयपुर, जिवा बाग (राज.)


जय मंडल अधिकारी
विकास अधिकारी
जयपुर, स.प.सि. जयपुर
कार्यालय मुहर

SEND

DATE

बैंक कार्यवाही रजिस्टर

मिनाय स्टेशनरी मार्ग, आर्य समाज
9352626882

सामं ध्यातुं

— १११ —

पंचायत समिति



जिला... टांगर

वर्ष 2014 -2

[illegible]

आज दिनांक 18/09/2014 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें वन क्षेत्र में आने वाली सड़क कोटा-खरनावा रबी-सी. निर्माण कार्य ठिकी. 132/500 to 134/200 जो वन विभाग की भूमि से गुजर रही है, वर्तमान में बन्द है उसके निर्माण हेतु ग्राम सभा में वन भूमि में सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव लिया गया तथा सर्वसम्मति से सड़क के निर्माण की अति आवश्यकता बताई गई एवम् किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में सड़क बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। इस वन भूमि पर किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं दिया गया है ना ही कोई दावा वर्तमान में विचाराधीन है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में क्रमांक 02 पर इन्द्राज है तथा ग्राम सभा में 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गई।


न. स. शर्मा
ग्राम पंचायत चौकोड़ा
पंचायत समिति छबड़ा


सचिव ग्राम पंचायत
चौकोड़ा
पंचायत समिति छबड़ा

आज दिनांक 20/10/14 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गई जिसमें ग्राम स्तरीय वनाधिकार कमेटी से वन क्षेत्र में पडने वाली सड़क कोटा-चरनावदा सी.सी. निर्मल कृष्ण सि.सी. के लिए प्राप्त प्रस्ताव 132/500 से 134/200 जिसका ग्राम स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है, उसको उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुमोदित कर जिला स्तरीय कमेटी हेतु प्रेषित करने का अनुमोदन किया जाता है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है, ना ही वर्तमान में कोई लम्बित है। अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिलेख की जाती है।


20/10/14
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड छबड़ा


क्षेत्रीय वन अधिकारी
छबड़ा


विकास अधिकारी
पं.स. छबड़ा।